

जैन एवं बौद्ध काल में स्त्री जीवन

प्राप्ति: 05.03.2025
स्वीकृत: 22.4.2025

38

रश्मि संत

असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास)

दीन दयाल उपाध्याय

राज0 स्ना0 महाविद्यालय, सीतापुर

ईमेल: rushme.sant@gmail.com

सारांश

प्राचीन काल में स्त्रियों का जीवन विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। उत्तरवैदिक काल से स्त्रियों के जीवन में जो परिवर्तन आया उसने स्त्रियों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय ने स्त्रियों में आशा की लौ जलायी। वास्तव में वैदिककालीन कर्मकाण्डों एवं परम्पराओं से स्त्रियाँ इतना उकता चुकी थी कि अपनी मुक्ति के लिए उन्हें जैन एवं बौद्ध धर्म का संयमित और सरल जीवन ज्यादा बेहतर लगा। बहुत सी महिलाओं ने जैन एवं बौद्ध अनुयायी बनकर समाज की जटिल परम्पराओं को तोड़ दिया। स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण कर साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सी भिक्षुणियों ने ज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। दोनों धर्मों ने जिस प्रकार से स्त्री पुरुष को समानता के भाव से देखा उससे स्त्रियों में आत्मविश्वास जागृत हुआ स्त्रियों की सहभागिता से ना केवल सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुयी बल्कि दोनों धर्मों की लोककल्याणकारी भावना ने इन्हें जनप्रिय बनाया। प्रस्तुत शोध पत्र में जैन एवं बौद्ध कालीन स्त्रियों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है जो किसी न किसी रूप से इन धर्मों से जुड़ी और अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर हुयी।

मुख्य बिंदु

स्त्री, सिद्धान्त, समानता, आत्मविश्वास, जीवन, मुक्ति

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक क्रान्ति के फलस्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसका मुख्य कारण उत्तर वैदिककाल में विभिन्न परम्पराओं में कर्म काण्ड का व्याप्त होना था, जिसे सहन करना सामान्य जनता के लिए दुरुह हो रहा था। ऐसे में जैन एवं बौद्ध धर्म ने लोगों की मुक्ति के द्वारा खोल दिये। इन धर्मों का सकारात्मक प्रभाव ना सिर्फ महिला जीवन पर बल्कि पुरुषों पर भी पड़ा। जैन धर्म ने महिलाओं की भी अपनी ओर आकर्षित किया। और बहुत सी महिलाएं भिक्षुणी और श्रविका बनकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगी। जैन साहित्य से पता चलता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी से पहले दीक्षा लेने वाली स्त्री राजा चेटक की कन्या पद्मावती की पुत्री थी।¹ जैन धर्म में कन्या का जन्म शुभ माना जाता था इसलिए उसके जन्म के समय भी लोग पुत्र की ही भाँति खुशियाँ मनाते थे। हीरालाल जैन अपनी कृति " भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान" में लिखते हैं कि कन्याओं को अपने पिता की सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने का अधिकार था।²

जैन धर्म की महिला अनुयायियों ने उस समाज की महिलाओं की दशा सुधारने का भरसक प्रयास किया। जैन दर्शन में सिद्धहस्त व्याख्याकार चन्दन बाला प्रथम महिला थी जिसने दर्शक विशिष्टता को प्राप्त किया था। वह जैन भिक्षुणी संघ की प्रधान भी बनी। लगभग छत्तीस हजार महिलाओं द्वारा चन्दन बाला के निर्देशन में प्रशिक्षण लेने का प्रमाण उपलब्ध होता है। भिक्षुणी संघ में सुषमा और भद्रा नामक दो अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं थी जिन्होंने जैन दर्शन में विद्वता हासिल की थी। जैन महिलाओं ने अनेक उपवन एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। जैन धर्म में दीक्षित महिलाओं को निर्धारित वस्त्र पहनना होता था। साथ ही उन्हें मठों में रहने की सुविधा भी प्राप्त थी। किन्तु महिला श्रमिणियों के मठ पुरुष श्रमणों से अलग होते थे। जैन कन्याओं में स्वयंवर की प्रथा थी विद्यमान थी। उनमें पर्दा प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिलते और ना ही बाल विवाह के साक्ष्य मिलते हैं। जैन साध्वियों शिक्षा पर विशेष जोर देती थी। बहुत सी श्रमिणियों ने पाली, संस्कृत और गुजराती में कुछ कविताएं लिखी। बाद में जैन धर्म श्वेताम्बर और दिगम्बर दो शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसमें दिगम्बर शाखा महिलाओं के भिक्षुणी बनने के पक्ष में नहीं था।³

इस तरह जैन धर्म ने महिलाओं को तत्कालीन शोषित व्यवस्था से अध्यात्म की ओर खींचकर मानसिक शान्ति प्रदान की जिसने उनके व्यक्तित्व को विकास की ओर उन्मुख किया।

जिस प्रकार जैन धर्म ने महिलाओं को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की उसी प्रकार बौद्ध धर्म ने भी महिलाओं को ऊर्जा प्रदान की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध स्वयं स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास रखते थे। हालाँकि जब बौद्ध संघ की स्थापना हुयी तो उसमें सिर्फ पुरुष भिक्षु ही उपस्थित रहते थे किन्तु बाद में बुद्ध ने अपनी माता महाप्रजापति के अनुनय और प्रिय शिष्य आनन्द के विनय पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को मान्यता प्रदान कर उनके लिए आध्यात्म का मार्ग खोल दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना व्यापक था कि ना सिर्फ सामान्य गृहणियों ने बल्कि अनेक गणिकाओं, विधवाओं, अविवाहित स्त्रियों तथा उच्च घराने की स्त्रियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। महिला बौद्ध संघ की स्थापना माता प्रजापति गौतमी के निर्देशन में हुयी जिसमें सर्वप्रथम पाँच सौ महिला भिक्षुणियों ने प्रवेश लिया। इस संघ में पहली पाँच सौ सदस्यों में से एक स्वयं महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी थीं जिसे बाद में भद्राकात्यायनी के नाम से जाना गया।

बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली दो प्रकार की महिलाएं थीं— एक वो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए संघ से जुड़ी थी तथा दूसरी वे जो पूरी तरह से मोह माया त्यागकर संयत होकर सन्यासिनी जीवन व्यतीत कर रही थीं।⁴ स्पष्ट है कि बुद्ध ने सभी स्त्रियों के लिए धर्म का मार्ग खुला रखा। स्त्री समानता के विषय में उन्होंने स्वयं कहा था कि जिस तरह से पुरुष बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का पालन कर सकते हैं और संघ में प्रवेश कर सकते हैं। उसी प्रकार से महिलाओं को भी बौद्ध सिद्धान्तों का पालन करने की स्वतंत्रता है।⁵ बौद्ध धर्म ने स्त्रियों के लिए ज्ञानार्जन को प्रोत्साहित किया। इसका जीवंत साक्ष्य थेरीगाथा है जिसमें बहुत सी भिक्षुणियों ने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया⁶ थेरीगाथा ग्रन्थ जो पालि साहित्य का ग्रंथ है विश्व इतिहास में ऐसा पहला ग्रंथ है जो महिलाओं द्वारा लिखा गया।⁷ शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण इस समय की शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आया। इस समय शिक्षा में जाति पॉति या अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। शिक्षा के केन्द्र सुसंगठित थे जहाँ मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु जीवनोपयोगी

उद्योग और कौशल विकास की भी दी जाती थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों को नियमित और अनुशासित जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित किया गया। इन सबसे लेखनकला का पर्याप्त विकास हुआ और foHhU fo"ofO[; k f' k'kd bhhd hLFki uk gbZ इस तरह शिक्षा के प्रचार प्रसार से शिक्षा सिर्फ समाज के कुछ लोगो तक ही या उच्च वर्ग के अधिकार क्षेत्र में ही रही।⁹ जहाँ एक ओर राजा प्रसेनजित के बिम्बसार की पत्नी खेमा उपदेश देने योग्य थी वही दूसरी ओर धम्मदिन्ना ने पूरे सुत्त की रचना की।¹⁰

थेरीगाथा बौद्ध कालीन इतिहास जानने के एक मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है। इसके अनुसार बत्तीस ऐसी ब्रम्हवादिनी महिलाएं थीं जो कविताओं के सृजन में कुशल थीं। साथ ही अट्टारह विवाहित भिक्षुणियों भी थी जो साहित्य में रुचि लेती थीं। उस समय की कई शिक्षित कन्याओं के नाम मिलते हैं जैसे सुमेधा, शुभा, अनुपमा आदि। एक जातक कथा से भी कन्याओं की शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है। कथा में दिया गया है कि एक पिता की चार कन्याओं ने देशाटन कर स्थान-स्थान पर दर्शन पर आधारित वाद-विवाद की चुनौती दी। इस काल में सहशिक्षा का भी प्रचलन था। बुद्ध द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का श्रवण स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ करते थे।¹¹ शाक्य स्त्रियों शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे थी। इस बात का प्रमाण उस घटना से लगाया जा सकता है जिसमें महाप्रजापति गौतमी पाँच सौ स्त्रियों के साथ सादे वस्त्र धारण कर, सिर मुंडवाकर, श्रृंगार तथा आभूषण का त्याग कर मीलों पैदल चलकर महात्मा बुद्ध के पास दीक्षा प्राप्त करने पहुँची थीं।

बौद्ध काल में कन्या को गोद लेने का प्रमाण भी मिलता है। बौद्ध साहित्य के धम्मपद टीका के अनुसार सोमवती या सामवती नामक कन्या के माता-पिता की मृत्यु होने पर उस अनाथ कन्या को मित्र नामक एक उपासक दत्तक सन्तान के रूप में स्वीकार करता है।¹² थेरीगाथा से स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बंधी अधिकारों की भी जानकारी प्राप्त होती है। उनके यह अधिकार चौथी सदी तक प्रचलन में रहे।¹³ कन्या जन्म को इस काल में शुभ माना जाता था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को कन्या को नमन करने का आदेश दिया था। पुत्र जन्म पर होने वाले सभी अनुष्ठान कन्या जन्म पर भी होते थे।¹⁴

बौद्धकाल में वैवाहिक स्थिति भी सरल थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार तीन प्रकार के विवाह प्रचलित थे। 1. प्राजापत्य विवाह, 2 स्वयंवर, 3. गंधर्व। समाज में अधिकांशतः प्राजापत्य पद्धति से विवाह होते थे, किन्तु अन्य दो विवाहों का भी उल्लेख मिलता है। कुणाल जातक के अनुसार कुमारी कण्ड ने अपनी इच्छा से पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपद टीका से पता चलता है कि कुमारी पटाचारा ने अपनी इच्छा से विवाह किया था।¹⁵ कुलावक जातक में सुजाता के स्वयंवर का विवरण मिलता है।¹⁶ सामान्यतौर पर विवाह सम्बंध अपने कुल, गोत्र या पिंड में किये जाते थे किन्तु कभी-कभी इसकी अवहेलना भी गयी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में एक विवरण मिलता है जिसमें एक ब्राम्हण कन्या ने शार्दूलकर्ण नाम के शूद्र लड़के से विवाह किया था। इसी तरह धम्मपद के अनुसार कुंडलकेसा, जो बाद में महान भिक्षुणी बनी, ने एक चोर पर आसक्त हो बैठी और उससे विवाह किया।¹⁷ इस समय विवाह के लिए सोलह वर्ष की आयु आदर्श मानी गयी। दहेज प्रथा भी विद्यमान थी। विवाह के समय कन्या को वस्त्र आभूषण देने की परम्परा थी। धनी सेठ की पुत्री विशाखा के विवाह के समय उसके पिता ने उसे धनधान्य से लाद दिया था। धम्मपद में भिक्षुणी विशाखा का विवरण मिलता है। साथ ही इस काल में नियोग प्रथा के प्रचलन का प्रमाण भी जातक

Available at: <https://anubooks.com/journal-volume/shodhmanthan-vol-xvi-june-2025-no2>
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।¹⁸ राजा और धनी वर्ग के साथ ही साथ ब्राम्हण वर्ग में बहु विवाह का उल्लेख मिलता है थेरीगाथा और अंगुत्तर निकाय भी बहु-पत्नी प्रथा का विवरण देते हैं।¹⁹ किन्तु सामान्यवर्ग के अधिकांश पुरुष एक पत्नीव्रता थे। पत्नियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। दीर्घ निकाय के अनुसार स्त्रियों की गणना राजा के चौदह रत्नों में की जाती थी।²⁰

इस काल में कन्याओं के नौकरी और व्यापार करने का भी उदाहरण मिलता है।²¹ उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। रानियाँ आवरण युक्त रथ का प्रयोग अवश्य करती थी किन्तु पर्दा नहीं करती थी। श्रेष्ठ स्त्रियाँ सम्मान के लिए पर्दा कर लेती थी।²² इस समय दासियों का भी क्रय विक्रय होता था किन्तु उनके साथ अनुदार, व्यवहार नहीं होता था। मज्झिम निकाय के अनुसार दासियों को किसी खास अवसर या उत्सव के समय दासत्व से मुक्ति दे दी जाती थी।²³

बौद्ध काल में गणिकाओं की उपस्थित नगर उत्सव के समय आवश्क मानी जाती थी। उस समय की प्रसिद्ध गणिका अम्बपाली और सालवती थी। सालवती का तो गणिकाभिषेक भी हुआ था। इन गणिकाओं को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। गणिकाओं से उत्पन्न पुत्र भी आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इस तरह गणिकाओं का जीवन भी उच्च था।²⁴

इस प्रकार बौद्ध धर्म ने महिलाओं में पुनः आत्म विश्वास दिलाने पैदा करने का मार्ग खोला। तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों और कर्मकाण्डों से महिलाएं उब चुकी थी। उन्हें एक ऐसे मार्ग की जरूरत थी जो उनके अस्तित्व को पहचान दे। यही कारण है कि जब "गाँव-गाँव अपने धर्म (धम्म) का प्रचार करते समय, बुद्ध एक शहर के पास आए तो ब्राम्हणों ने उससे डर कर अपने शहर की सीमा में उनका प्रवेश वर्जित किया परन्तु गुलामी से उकता चुकी हजारों महिलाएं धार्मिक एवं व्यवहारिक बंधन को तोड़कर सीमाएं फोड़कर बाहर निकलीं और बुद्ध की शरण में आकर उनकी शिष्य बनीं।²⁵

भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ सालों बाद बौद्ध धर्म में तंत्र-मंत्र का प्रवेश हो गया। उमंग, नागार्जुन, वसुबन्धु और आर्य देव द्वारा पोषित इसकी गरिमा नष्ट हो गयी जिससे कालान्तर में स्त्रियों की दशा भी हीन होती चली गयी।²⁶

संदर्भ

1. खुराना एवं चौहान, भारतीय इतिहास में महिलाएं, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2018-19, पृ० सं०- 14
2. डा० ममता गंगवार, इतिहास के आइने में महिला सशक्तीकरण, सरस्वती प्रकाशन, कानपुर (उ०प्र०), संस्करण-2020 पृ० सं०- 26
3. वही, पृ० सं०- 24
4. डा० राजकुमार (सम्पादक), भारतीय नारी (सामाजिक अध्ययन) अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, संस्करण-2007 पृ० सं०- 22
5. आई०बी० हार्नर, वीमेन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, दिल्ली संस्करण-1975, पृ० सं०-211
6. सुगम आनन्द, पृ० सं०- 37
7. डा० अनिल सूर्या, अनुवादक, डॉ० संजय गजभिए, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय महिलाएं और हिन्दू कोड बिल, सम्यक प्रकाशन, संस्करण-2019, पृ० सं०-76

8. वही , पृ० सं०-81
9. रोमिला थापर, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2007, पृ० सं०-59
10. मज्झि निकाय, 1 / 299
11. बृजपाल संत, स्त्री अतीत से वर्तमान तक, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृ० सं०-93
12. डा० अनिल सूर्या, अनुवादक, डॉ० संजय गजभिए, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय महिलाएं और हिन्दू कोड बिल, सम्यक प्रकाशन, संस्करण-2019, पृ० सं०-77
13. विमल कीर्ति, थेरीगाथा, सम्यक प्रकाशन, पृ० सं०-327
14. सुगम आनन्द, भारतीय इतिहास में नारी, अनुभव पब्लिसिंग हाउस, पृ० सं०-37
15. सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारत, पृ० सं०-177
16. सुगम आनन्द, पृ० सं०-37
17. डा० कुसुम मेघवाल, भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-चतुर्थ 2020, पृ० सं०-27
18. बृजपाल संत, पृ० सं०-93
19. प्रो० सुगम आनन्द, पृ० सं०-89
20. डा० ममता गंगवार, पृ० सं०-31
21. वही पृ० सं०-38
22. बृजपाल संत , पृ० सं०-94
23. सुगम आनन्द-पृ० सं०-38
24. जयशंकर मिश्र, पृ० सं०-421
25. महादेव शास्त्री जोशी (सं०) भारतीय संस्कृतिकोश, पुणे, 1979, पृ० सं०-197
26. सुगम आनन्द, पृ० सं०-36